मुकुल गोयल
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0-32/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: सितम्बर 2, 2021

विषय–साइबर क्राइम की रोकथाम व अन्वेषण हेतु सामान्य निर्देश।

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप सभी अवगत है कि साइबर अपराध, तकनीकी प्रगति का परिणाम है, जिसमें इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर का उपयोग शामिल है। वर्तमान समय में मुख्य रूप से बैंक खातों/वैलेटों की हैकिंग एवं साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टाकिंग, सिस्टम को नष्ट करनें के लिए वायरस जैसे मालवेयर बनाना या भेजना या फिर पैसे कमाने के लिए डाटा चोरी करना, फिसिंग, सिम स्वैपिंग आदि प्रमुख अपराध है। साइबर अपराध ने कई लोगो का जीवन आर्थिक रूप से प्रभावित किया है।

2– उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराध दर्ज कराने हेतु www.cybercrime.gov.in, WhatsApp number- 7839877207, Twitter Handle @cyberpolice_up को क्रियाशील किया गया, जिससे प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित थानों के माध्यम से निस्तारण कराया जाता है। केन्द्र से संचालित राष्ट्र स्तरीय NCCRP Portal / Cybersafe Portal / Help desk व भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) व साइबर क्राइम पुलिस थानों के पर्यवेक्षण के कार्य हेतु **पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम** को नियुक्त किया गया। साइबर अपराधियों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर निकाली गयी धनराशि को यथाशीघ्र अपराधियों के खातों में फ्रीज कराकर पीड़ित को वापस कराने हेतु **टॉल–फ्री नम्बर 155260** को संचालित किया गया है।

3– साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अन्वेषण हेतु पूर्व में निम्नलिखित डीजी परिपत्र निर्गत किये गये हैः–

I. साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु मुख्यालय स्तर पर साइबर सेल के गठन के लिए डीजी परिपत्र संख्या 48/2019 दिनांक अक्टूबर 06, 2019 जारी किया गया है, जिसके माध्यम से पुलिस कर्मियों को साइबर काइम की रोकथाम हेतु थाना स्तर, जनपद स्तर एवं जोन स्तर पर कार्यवाही सम्बन्धी निर्देश दिये गये है।
II. बढ़ते साइबर काइम को देखते हुए शासन द्वारा 16 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की गयी तथा साइबर क्राइम पुलिस थानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित दिशा–निर्देश डीजी परिपत्र संख्या–12/2020 दिनांक 21 मार्च 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस का निर्गत किये गये है।

III. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिटपिटीशन (क्रिमिनल) संख्या–167/2012 श्रेया सिंघल बनाम यूनियन आफ इण्डिया में निर्णय पारित करते हुए दिनांक 24.03.2015 को सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66ए को असंवैधानिक पाते हुए समाप्त कर दिया है, जिसके सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्या–39/2020 दिनांक अक्टूबर 28, 2020 में अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये गये है।

IV. साइबर अपराधो से सम्बन्धित अभियोगो की गुणवत्तापरक विवेचना के सम्बन्ध में डीजी परिपत्र संख्या–22/2019 दिनांक जून 15, 2019 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

V. वर्तमान में प्रचलित साइबर अपराध के विषय में पुलिस पेन्शन धारकों एवं कार्यरत पुलिस कर्मियों को जागरूक किये जाने हेतु डीजी परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकःजून 11, 2021 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त परिपत्रो में जारी किये गये निर्देशो का पालन कर एवं साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाकर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधों के अन्वेषण में अपेक्षित सफलता मिलेगी।

भवदीय

(मुकुल गोयल)

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स, उ0प्र0 (नाम से)
समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 (नाम से)

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।